By Speed Post

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No RGM/5/2010/ MRLY1/SEPROM/RU-1

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

Dated 17.05.2012

To,

The Additional Member (Staff),
Railway Board,
Ministry of Railways,
Room No.208 Rail Bhawan ,
Rafi Marg, New Delhi – 110 001

Sub:- Promotion of Shri Ram Gopal Meena, General Fitter Gr.-I, Bridge Workshop, Jallandhar Cant. N. Rly. against shortfall of ST MCM Cadre.

Sir,

I am directed to refer to this Commission's letter of even No. dated 13/02/2012 on the above subject and to forward here with a copy of the proceedings of the hearing held in this Commission on 14/03/2012 for necessary action.

2 It is requested that action taken report with reference to the above proceeding may please be sent to this Commission **within 30 days** positively.

Yours faithfully,

Encl: as above 09 pages.

Sd.
(S.P. Meena)
Assistant Director

Copy with a copy to:-

Shri Ram Gopal Meena
Railway Awas No .333-B,
Colony No.2, Ram Mandi,
Jalandhar, Punjab

Sd.
(S.P. Meena)
Assistant Director

By Hand

File No RGM/5/2010/ MRLY1/SEPROM/RU-I

Date17/05/2012

Copy with a copy of the above proceedings sent for information to:-

1. P.S. to Member (BLM)
2. P.P.S to Joint Secretary
3. S.S.A. (N.I.C.)
4. A.D.(C.Cell)

(S.P. Meena)
Assistant Director

सं. आरजीएम/5/2010/एमआरएलवाइ1/एसईपीआरओएम/आर.यू.-I

श्री राम गोपाल मीणा, जनरल फीटर ग्रेड-I, पुल कार्यशाला, उत्तर रेलवे, जालंधर, पंजाब को एम.सी.एम. ग्रेड में पदोन्नति बाबत् राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष दिनांक 14-03-2012 को हुई सुनवाई/बैठक का कार्यवृत

बैठक में उपस्थित –

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग–

1.	श्री भैरू लाल मीणा	सदस्य
2.	श्रीमती के.डी.बन्सौर	उप निदेशक
3.	श्री एन.के. कौशिक	परामर्शदाता

रेल मंत्रालय–

1.	श्री पी. के.शर्मा	अतिरिक्त सदस्य (स्टाफ)
2.	श्री एस.के. सेठ	मुख्य कार्मिक अधिकारी (उत्तर रेलवे)
3.	श्री के.मल	कार्यकारी निदेशक स्थापना (आरक्षण)
4.	श्री के.पी.एस. मीना	उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (आरक्षण)
5.	श्री दीप चंद	मुख्य हित निरीक्षक

प्रार्थी–

1. श्री राम गोपाल मीणा

विषयः श्री राम गोपाल मीणा, जनरल फीटर ग्रेड-I, पुल कार्यशाला, उत्तर रेलवे, जालंधर, पंजाब को दिनांक 01-11-2003 से एम.सी.एम. के ग्रेड में पदोन्नति करने के बाबत् अभ्यावेदन दिनांक 22-03-2010

पृष्ठभूमि –

श्री राम गोपाल मीणा ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 22-03-2010 में आयोग को अवगत कराया कि वह अनुसूचित जनजाति का कर्मचारी है और उप मुख्य पुल इंजिनियर ब्रिज वर्कशाप, उत्तर रेलवे, जालन्धर छावनी के अधीन जनरलफिटर ग्रेड-I के पद पर दिनांक 30-10-1999 से कार्यरत है तथा उसे एम.सी.एम. ग्रेड में पदोन्नति नहीं किया जा रहा। श्री मीणा ने अवगत कराया कि कार्मिक अधिकारी, उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली ने दिनांक 14-09-2009 को रोस्टर रजिस्टर की जाँच की, जिसमें पाया गया कि अनुसूचित जनजाति का एक पद एम.सी.एम. का शार्टफाल पाया गया है। दिनांक 01-11-2003 को एम.सी.एम. के एक

17/5/2012

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

पद के लिए सामान्य वर्ग के श्री रमेश चंद का टेस्ट करवाया गया था जिसमें श्री मीणा ने भी अनुरोध किया था कि अनुसूचित जनजाति का शार्टफाल है तथा उस पर श्री मीणा को पदोन्नत किया जाये लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और सामान्य वर्ग के कर्मचारी को पदोन्नत कर दिया गया तथा पत्र सं0 803-ई/4/भाग-12 दिनांक 22-12-2009 के द्वारा दो कर्मचारियों को एम.सी.एम. के लिए टेस्ट करवाया गया जिसमें एक सामान्य वर्ग के श्री राजेन्दर प्रसाद एवं श्री राजेश कुमार अनुसूचित जाति को पदोन्नत कर दिया गया और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को टेस्ट के लिए नहीं बुलाया गया।

आयोग ने पत्र दिनांक 16-04-2010 के द्वारा प्रकरण में अतिरिक्त सदस्य (स्टाफ) रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय से टिप्पण व रिपोर्ट मांगी। उत्तर अप्राप्ति पर अनुस्मरण पत्र दिनांक 05-06-2010, 06-08-2010, 06-09-2010 भेजे गए। उत्तर रेलवे ने पत्र संख्या 220ई/1258/367/आरबी/एचक्यूसीई ब्रिज/10/आरपीसेल दिनांक 15-09-2010 द्वारा आयोग को जानकारी दी कि एस.सी.एम. कैडर में 3 पद हैं जिनमें 2 अनुसूचित जाति कर्मचारी (एक अनुसूचित जाति के आरक्षित पद तथा एक अन्य अनुसूचित जाति व्यक्ति अनारक्षित पद पर है) और एक सामान्य श्रेणी का कर्मचारी कार्यरत है। रेल मंत्रालय के अनुदेश दिनांक 21-08-1997 के अनुसार जिस कैडर की संख्या 14 पद हों और आरक्षण 50% से अधिक हो तो रोस्टर पर इंगित आरक्षित के पदों को एक्सीड कर कैरी फारवर्ड करते हुए अनारक्षित वर्ग से भरा जा सकता है। चूंकि उपरोक्त 3 पदों में ऐसे 1 पद आरक्षित वर्ग द्वारा पहले ही भरा गया। अत: श्री राम गोपाल मीणा को भी अनुसूचित जनजाति के आरक्षित कोटा के अन्तर्गत पदोन्नति दी जाती है तो यह 50% से अधिक होगी। इसलिए श्री मीणा को जनरल फीटर ग्रेड-I से एम.सी.एम. पर अनुसूचित जनजाति आरक्षण के अन्तर्गत पदोन्नत नहीं किया जा सकता। प्रार्थी को आयोग ने रेल मंत्रालय के पत्र दिनांक 15-09-2010 की जानकारी भेजी। प्रार्थी श्री मीणा उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए तथा रिजोएन्डर दिनांक 19-10-2010 आयोग को प्रस्तुत करते हुए आयोग को सूचित किया कि बैकलॉग आधारित रिक्तियों पर 50% से अधिक की सीमा का निर्णय रेल मंत्रालय के आदेश पी.एस. सं. 12095/2000, आर.बी.ई.149/2000 आदेश सं0 807-ई/240पीटीएक्स/पॉलिसी/आरपीसेल/99 दिनांक 11-09-2000 एवं भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के आदेशों के अनुसार लागू नहीं होती। रेल मंत्रालय ने पत्र दिनांक 24-09-2010 द्वारा आयोग को सूचित किया कि मामला उत्तर रेलवे से परामर्श के अन्तर्गत अभी भी परीक्षण में है।

प्रार्थी ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 30-03-2011 प्रस्तुत करते हुए आयोग को सूचित किया कि --

1. एक पद दिनांक 01-11-2003 को भरा गया था उस समय भी प्राथी ने अनुरोध किया था कि अनुसूचित जनजाति का बैकलॉग पूरा किया जाए लेकिन सामान्य कर्मचारी को पदोन्नति दे दी गयी।

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार
नई दिल्ली / New Delhi

2. एक पद दिनांक 30-04-2007 को खाली हुआ उस समय भी अनुसूचित जनजाति का बैकलॉग पूरा नहीं किया गया।

3. दो पद दिनांक 23-12-2009 को भरे गए उस समय भी अनुसूचित जनजाति का बैकलॉग पूरा नहीं करके एक पद सामान्य को और एक पद अनुसूचित जाति को दे दिया गया जबकि उस समय अनुसूचित जाति का पोइन्ट नहीं बनता था। अत: प्रार्थी के अनुसार दिनांक 01-11-2003 से उनका हक बनता है और उसके योग्य भी हैं।

उपरोक्त रिजोएन्डर दिनांक 30-03-2011 को आयोग के पत्र 31-03-2011 द्वारा पैरावार टिप्पणी एवं कार्रवाई रिपोर्ट हेतु रेल मंत्रालय को अग्रेषित किया गया तथा अनुस्मरण पत्र दिनांक 30-05-2011, 02-08-2011 एवं 03-09-2011 भेजे गए।

रेल मंत्रालय ने पत्र दिनांक 13-10-2011 द्वारा आयोग के उपरोक्त अनुस्मरण पत्रों के संदर्भ में सूचित किया कि उत्तर रेलवे से सूचना मांगी गयी है जो अभी लंबित है तथा मामले की अंतिम स्थिति से आयोग को यथा समय अवगत करा दिया जाएगा।

रेल मंत्रालय ने पत्र दिनांक 09-01-2012 द्वारा सूचित किया कि श्री राम गोपाल मीणा के मामले में सुधारात्मक उपाय किया जा रहा हैं एवं उप मुख्य अभियन्ता/पुल, जालंधर कैंट को श्री राम गोपाल मीणा को पदोन्नत करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गयी है। उप मुख्य अभियन्ता/पूल, उत्तरी रेलवे, पुल कार्यशाला, जालंधर कैंट को उत्तरी रेलवे मुख्यालय ने निर्देश दिया कि पुराने 40 बिन्दु आरक्षण रोस्टर को देखने पर पाया गया कि एक अनुसूचित जनजाति का बैकलॉग पद था जिसे नए पद आधारित रोस्टर में आगे ले जाना चाहिए था। जालंधर कार्यालय में उल्लिखित पद आधारित नए रोस्टर में पाया गया कि 'प्रथम बार में उपयोग में लिए गए बिन्दु द्वारा' कोलम में बिन्दु संख्या 1 के विरूद्ध लाल स्याही में 'अनुसूचित जाति' इंगित किया गया था। इसके कारण इस कार्यालय में अनुसूचित जाति उम्मीदवार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए बिन्दु संख्या 1 के प्रतिस्थापन को नहीं भरा गया और उसे अनारक्षित उम्मीदवार श्री रमेश चंद द्वारा 01-11-2003 से प्रभावी करके भरा गया था। तत्पश्चात् इस कार्यालय ने बिन्दु संख्या 1 के विरूद्ध संशोधन किया जो कि पहले अनुसूचित जाति के रूप में दर्शाया गया था उसे नीली स्याही से ओवर राईटिंग के साथ सामान्य श्रेणी के लिए बदला गया था। इसके कारण इस कार्यालय ने अनुसूचित जाति के लिए बिन्दु संख्या 1 के प्रतिस्थापन द्वारा प्रतिस्थापन बिन्दु संख्या 2 को अनुसूचित जाति उम्मीदवार द्वारा भरा गया जो कि विस्तारित नियमावली 09-09-1997 के अनुसार एक भूल थी। साथ ही उत्तरी रेलवे मुख्यालय ने लिखा कि यह आसानी से देखा जा सकता है कि नए आधारित रोस्टर शामिल करने वाले मुद्रित क्रम सं. 11450 को जारी करने की तिथि को बिन्दु संख्या 1 से 3 तक को पहले से ही चिन्हित कर दिया गया है। अत: यदि बिन्दु संख्या 1 को सामान्य उम्मीदवार द्वारा भरा गया माना जाए तो, जैसा कि

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

जालंधर कार्यालय ने संशोधन किया है, प्रतिस्थापन बिन्दु संख्या 1 के विरूद्ध पहली उपलब्ध रिक्ति को दिनांक 01-11-2003 से प्रभावी करते हुए अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार से भरा जाना चाहिए था और आगे की पदोन्नतियाँ एल आकृति के रोस्टर में शामिल नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जाना था। अतः तद्नुसार श्री राम गोपाल मीणा को पदोन्नत करने के लिए आवश्यक संशोधन/कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त उत्तरी रेलवे मुख्यालय ने यह भी उल्लेख किया है कि इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी ने गंभीरता से लिया है।

उत्तर रेलवे ने अपने पत्र दिनांक 24-02-2012 द्वारा आयोग को सूचित किया कि एम.सी.एम. का संवर्ग 3 है जिसमें से एक अनुसूचित जाति श्री रमेश चंद आरक्षित उम्मीदवार पहले से ही उपलब्ध है एवं अनुसूचित जाति के चक्र 1 के प्रतिस्थापन के रोस्टर बिन्दु सं0 1 के विरूद्ध पदोन्नत है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि श्री रमेश चंद सामान्य वर्ग के कर्मचारी है न कि अनुसूचित जाति के। अतः मामले में रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने वस्तुस्थिति सही प्रस्तुत नहीं की है। पुराने 40 बिन्दु रोस्टर के अनुसूचित जनजाति के विगत शार्टफाल जिसे कि पहले ही भर देना चाहिए था।

आयोग के सदस्य श्री भैरू लाल मीणा ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए नियमों की जांच कर दिनांक 06-01-2012 तथा 14-02-2012 की बैठक मूलतवी कर दिनांक 14-03-2012 को 11.30 बजे निश्चित की गयी। रेल मंत्रालय ने पत्र दिनांक 09-01-2012 (छायाप्रति संलग्न है) के द्वारा सूचित किया कि श्री राम गोपाल मीणा के मामले में डिप्टी चीफ इंजीनियर ब्रिज जालन्धर द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं और उन्हें आवश्यक सुधार के उपाय करते हुए श्री राम गोपाल मीणा को पदोन्नत करने की सलाह दी गयी है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ एम.सी.एम. के संवर्ग में जे.ई. का एक पद अब डाउन ग्रेडेड कर दिया गया है और श्री राम गोपाल मीणा की उपयुक्तता समायोजित कर दी गयी है जिसे कि उन्होंने उचित पाया। श्री राम गोपाल मीणा का एम.सी.एम. के रूप में पदोन्नति आदेश दिनांक 15-02-2012 जारी कर दिया गया।

चर्चा-

अतिरिक्त सदस्य (स्टाफ) रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय), आयोग के माननीय सदस्य के समक्ष उपस्थित होकर जानकारी दी कि श्री राम गोपाल मीणा को वांछित पद पर उत्तर रेलवे के पत्र सं 258-ई/2/भाग-3 दिनांक 15-02-2012 द्वारा एम.सी.एम. पद वेतनमान 9300-34800+4200 पर पदोन्नति के आदेश कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी सहमति व्यक्त की कि श्री राम गोपाल मीणा को दिनांक 01-11-2003 से नोशनल पदोन्नति देय है।

अभ्यावेदक द्वारा रेल मंत्रालय के पत्र सं0 पीसी-III/2003/सीआरसी.16 दिनांक 09-10-2003 का संज्ञान आयोग को कराते हुए अवगत कराया कि कैडर पुनर्संरचना लागू की गयी जिसे दिनांक 01-11-2003 से प्रभावी किया गया। तद्नुसार एम.सी.एम. का एक पद नया सृजित

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

हुआ था। अत: आयोग द्वारा अतिरिक्त सदस्य, रेलवे बोर्ड को कहा गया कि श्री राम गोपाल मीणा को दिनांक 01-11-2003 से उक्त पद पर पदोन्नति देना सुनिश्चित किया जाए।

अतिरिक्त सदस्य, रेलवे बोर्ड ने कहा कि श्री राम गोपाल मीणा को पदोन्नति का लाभ "काम नहीं वेतन नहीं", के सिद्धांत के अन्तर्गत पूर्व तिथि से नहीं दिया जा सकता। सदस्य महोदय ने रेल मंत्रालय के दिनांक 09-10-2003 के पत्र के अनुरूप प्रार्थी को दिनांक 01-11-2003 से पदोन्नति हेतु नोशनल फिटमेंट (no work no pay) को संज्ञान में लेते हुए आपत्ति जाहिर की और कहा कि इसमें गलती प्रार्थी की नहीं है तथा मामले में इस प्रकार का निर्णय no work no pay का नियम नहीं लगाना चाहिए। जिन अधिकारियों ने प्रार्थी को पदोन्नति से वंचित रखा है तथा भेदभाव किया है उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने उचित सावधानी नहीं बरती तथा आरक्षण रोस्टर लागू करने में ठीक प्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया।

आयोग के सदस्य ने अतिरिक्त सदस्य (स्टाफ) रेलवे बोर्ड को सलाह दी कि प्रार्थी के पदोन्नति के प्रकरण में रेल मंत्रालय द्वारा संबंधित अधिकारियों के उत्तरदायित्व को नियमानुसार तय किया जाए तथा भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा रेल मंत्रालय के संबंधित नियमों को ध्यान में रखकर श्री राम गोपाल मीणा को नोशनल फिटमेंट करते हुए दिनांक 01-11-2003 से सभी परिणामी लाभ (कोन्सीक्वेंटली बेनीफीट) दिए जाए। आयोग को प्रकरण में की गयी कार्रवाई से 30 दिन के भीतर सूचित करे।

17/5/2012

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

Attendance Sheet

Subject: Meeting held in the Commission on 14.03.2012 at 11:30AM.

Sl. No.	Name & Designation	Signature
1.	P.K. Sharma - AM/Staff	[signature]
2.	SK Sehr Ch/...	[signature]
3.	K. MAL EDE (Res)	[signature] 14/3/12
4	Ramgopal Meena	[signature] 14/3/2012
5.	M.L. Meena	[signature] 14/3/12
6.	P.K. Gupta	[signature] 14/3
7.	K.P.S. Meena	[signature] 14/3/12
8.	Deep Chand Ch.SE/W I/Rl	[signature]
9.		
10.		

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

No. 2010-E(SCT)II/3/34 **New Delhi, dated 09-1-2012**

The Director,
National Commission for Scheduled Tribes,
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi – 110 003

Sub: Regarding promotion of Sh.Ram Gopal Meena, Fitter Gr.I, Jallandhar, Northern Railway against shortfall in MCM Cadre.

Ref: National Commission for STs letter No.RGM/5/2010/MRLY1/SEPROM /RU-1 dated 27.12.2011.

Sir,

I am directed to refer to your letter cited above and to state that due to delay in receiving the aforesaid letter, Additional Member(Staff) could not attend the proposed meeting with Hon'ble Member, National Commission for STs on 6.01.2012. The same is deeply regretted. However, the corrective measure in the case of Sh.Ram Gopal Meena is being taken and Dy.Chief Engg/Bridge, Jallandhar Cantt., has been advised to do necessary correction to promote Sh.Ram Gopal Meena (copy enclosed).

Yours faithfully,

Encls: as above.

(D.Venkateswara Rao)
Director, Estt.(Res.)

Am/Staff
23/12

EDE/Res I

NORTHERN RAILWAY

26/12/11

HEADQUARTERS OFFICE,
BARODA HOUSE,
NEW DELHI.

No.220-E/1258/367-RB/JRC/HQ/11/RP Cell

Dated: 23/12/2011

Secretary /Estt. (Res.),
Railway Board ,
Rail Bhavan,
NEW DELHI.

Sub: Rejoinder dated 30/03/2011 of Shri Ram Gopal Meena, Fitter Gr. –I Jallandhar Cantt. N. Rly, regarding his promotion against ST shortfall in MCM Cadre.

Ref: 1) Railway Board 's letter No. 2010E(SCT)II/3/34, dated 18/10/2011.
2) Your Office No. 561E/Misc/BR/HQ, dated 09/11/2011.

360/AMS
28/12

In continuance to this office letter of even No. dated 30/11/2011, it is mentioned that issue has since been examined in Headquarters Office by calling relevant records from Bridge Workshop/ Jallandhar Cantt. Necessary directions have been sent to controlling authorities of complainant for promotion of Shri R.G. Meena. Copy of letter issued to Dy. Chief Bridge Enginner/ Bridge Workhsop, Jallandhar Cantt is enclosed herewith.

(S. S. KARKHAL)
FOR GENERNAL MANAGER

NORTHERN RAILWAY

HEADQUARTERS OFFICE,
BARODA HOUSE,
NEW DELHI.

No.220-E/1258/367-RB/JRC/HQ/11/RP Cell **Dated**: 23/12/2011

The Dy. Chief Engineer/ Bridge,
Northern Railway,
Bridge Workshop,
JALLANDHAR CANTT.

Sub: Promotion of Shri Ram Gopal Meena, General Fitter Gr.-I, Bridge Workshop, Jallandhar Cant. N. Rly. against shortfall of ST MCM Cadre.

Ref: Your Office letter No. 803-E/4-Pt. 13, dated 10/10/2011.

On perusal of old 40 point communal reservation roster, it is found that there was back log of 01 ST which should have been carried forward in the new post –based roster. In new based roster maintained in your office, it is found that against point No. 01 in the column of 'Point Utilized by' Ist. it was mentioned 'SC' in red ink. Due to this your office did not fill up replacement point No. 01 meant of SC by SC candidate and the same was filled by UR candidate by Ramesh Chand w.e.f. 01/11/2003.

Subsequently your office made correction against point No. 01, which was earlier shown as SC, was changed to General with over writing in blue ink. Due to this you filled up replacement point No. 02 by SC candidate vice replacement point No. 01 meant for SC. This again was a mistake. As per extant rules 09/09/1997.

It is easily seen that on date of issue of PS No. 11450 containing new based roster point No. 1 to 3 have already been plotted. So, if point No. 01 is treated as filled by general candidate as your office has since corrected, the first available vacancy against replacement point No. 01 should have been filled up by ST candidate w.e.f. 01/11/2003 and further promotions could have been done keeping in view the rules pertaining to L shape roster. So necessary correction to promote Shri R.G. Meena be taken accordingly.

In addition to the above it is also mentioned that competent authority has taken a serious view of this irregularity. It is desired that cutting and over writings in the roster be confirmed with date by the competent authority. The responsibility for this serious lapse may be fixed and defaulting staff should be taken up under intimation to this office. Entries in all other rosters may also be confirmed by competent authority and got vetted.

(S. S. KARKHAL)
For General Manager /P